झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची–834001

प्रेस विज्ञप्ति

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड अन्तर्गत ''बाल विकास परियोजना पदाधिकारी'' नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन संख्या–21 / 2023) के संबंध में आवश्यक सूचना।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड अन्तर्गत ''बाल विकास परियोजना पदाधिकारी'' नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन संख्या–21 / 2023) दिनांक–10.06.2024 (सोमवार) को झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में दो पालियों में निम्न कार्यक्रमानुसार निर्धारित है :–

दिनांक	प्रथम पाली (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 12:00 बजे तक)	द्वितीय पाली (अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक)
10.06.2024	सामान्य अध्ययन (प्रथम पत्र)	सामान्य अध्ययन (द्वितीय पत्र)

प्रवेश–पत्र डाउनलोड करने एवं महत्वपूर्ण अनुदेश के संबंध में :–

1. इस परीक्षा के परीक्षार्थियों को प्रवेश–पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे।
2. परीक्षार्थी अपना प्रवेश–पत्र (Admit Card), उपस्थिति पत्रक (Attendance Sheet) एवं परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश **दिनांक–01.06.2024** से आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अपना **पंजीयन संख्या E-mail Id/Phone No./Candidate Id एवं Password** प्रविष्ट कर डाउनलोड कर सकते हैं।
3. परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र (Admit Card) डाउनलोड करने में कठिनाई हो तो आयोग के Helpline No. +918956622450,+919431301419 /+919431301636 पर दिनांक–08.06.2024 तक कार्य दिवस में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।
4. परीक्षार्थियों को निदेश दिया जाता है कि वेबसाईट से डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्र (Admit Card), उपस्थिति पत्रक एवं आवेदन के समय दिये गये फोटो की 04 (चार) Passport Size स्वहस्ताक्षरित रंगीन (Colour) फोटो तथा एक वैध (Valid) फोटोयुक्त पहचान पत्र, अपने परीक्षा केन्द्र पर अवश्य साथ लाए।
5. **परीक्षार्थी अपने ओ0एम0आर0 शीट में आवश्यक जानकारियाँ प्रविष्ट करने के पूर्व प्रवेश पत्र (Admit Card) एवं ओ0एम0आर0 शीट (OMR Sheet) में अंकित अनुदेशों को भली भाँति पढ़कर ही प्रविष्टि करें। ओ0एम0आर0 शीट (OMR Sheet) में सही एवं वांछित सूचनाएं अंकित नहीं किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है तथा परीक्षार्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।**
6. ओ0एम0आर0 सीट में उत्तर के गोले में वांछित सूचना अंकित करने हेतु **नीला / काला बॉल प्वाईट पेन** का ही प्रयोग किया जायेगा। अतः परीक्षार्थियों को निदेशित किया जाता कि वे अपने साथ परीक्षा कक्ष में **नीला / काला बॉल प्वाईट पेन** अवश्य लाए।
7. परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाईल फोन या अन्य कोई Electronic Gadget रखने की अनुमति नहीं है। परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने परीक्षा केन्द्र पर कागज / पर्ची, मोबाईल फोन, Electronic Gadget सहित अन्य प्रतिबंधित वस्तुएँ यथा बैग, पाठ्य–पुस्तिकाएँ, खाद्य–सामग्री, कीमती / मूल्यवान सामान एवं अस्त्र–शस्त्र इत्यादि साथ नहीं लाए। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना, या नकल कराना उत्तर पत्र लेकर भाग जाना, उसे नष्ट करना आदि कृत्य संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं जो भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 420,379 तथा 426 एवं **झारखण्ड प्रतियोगिता परीक्षा (भर्त्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023** के संगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ दण्डात्मक / अनुशासनिक कार्रवाई के साथ–साथ भविष्य में होनेवाली परीक्षाओं में सम्मिलित होने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

कृ0पृ0उ0

8. परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा आरम्भ होने की निर्धारित समय से कम से कम एक घंटा पहले परीक्षा केन्द्र पहुँचना सुनिश्चित करेंगे।
9. दिव्यांग कोटे के परीक्षार्थी श्रुतलेखक (Scribe) हेतु परीक्षा तिथि से 03 दिन पूर्व वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित अपने केन्द्र पर उपस्थित होकर केन्द्राधीक्षक को प्रार्थना पत्र समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर केन्द्राधीक्षक द्वारा इस निमित्त यथा निर्देशित व्यवस्था किया जायेगा।
10. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाईट **<u>WWW.jpsc.gov.in</u>** पर उपलब्ध है।

ह0/–
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग,राँची।